हुक्म की तामील में जारी हुए

22-12-2020 पत्रावली पेश हुई/अभिभाषक संघ ने कार्य का बहिष्कार किया है। P.O. साहब ~~दौरे पर/अवकाश पर~~/ अन्य कार्यों मे व्यस्त है। पत्रावली दि०...1-1-2021...को पेश हो।

रीडर

1-1-2021 पत्रावली पेश हुई/अभिभाषक संघ ने कार्य का बहिष्कार किया है। P.O. साहब ~~दौरे पर/अवकाश पर~~/ अन्य कार्यों मे व्यस्त है। पत्रावली दि०...14-1-2021...को पेश हो।

रीडर

14-1-2021 वकील प्रार्थी उप०/ तहसीलदार गंगापुर सिटी से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। बहस सुनी गई। प्रा०पत्र 136 L.R.Act स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली मे शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:32:16 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
3/2020	10.2.2020	14 .1.2021

1. अमरदीन पुत्र श्रीलाल, मुसलमान निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
2. अल्लानूर पुत्र श्रीलाल, मुसलमान निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
3. नजीर खां पुत्र श्रीलाल, मुसलमान निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
4. साबुद्दीन पुत्र श्रीलाल, मुसलमान निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी

——प्रार्थीगण

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित :– श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम टोकसी में भूमि ख0नं0 1142 रकबा 0.67 है0, ख0नं0 1143 रकबा 0.36 है0, ख0नं0 1144 रकबा 0.31 है0, ख0नं0 1742 रकबा 0.77 है0, ख0नं0 1743 रकबा 0.79 है0 स्थित है जो प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है। इसमें राजस्व कर्मचारियों ने गलती से प्रार्थी संख्या 4 का नाम साहबुद्दीन अंकित कर दिया है जबकि इसका सही नाम साबुद्दीन है। यह एक सद्भाविक गलती है जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी संख्या 4 के आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशनकार्ड आदि दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम साबुद्दीन अंकित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी संख्या 4 के नाम की उक्त गलती को दुरूस्त किए जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थिया ने नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074, फोटोकोपी राशनकार्ड,, फोटोकोपी आधार कार्ड, फोटोकोपी मतदाता पहचान पत्र, फोटोकोपी जन आधार कार्ड प्रस्तुत की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार गंगापुर सिटी से रिपोर्ट मंगवाई गई।

तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रार्थी साहबुद्दीन का सही नाम साबुद्दीन है। रिपोर्ट के साथ तहसीलदार गंगापुर सिटी ने पटवारी हलका की रिपोर्ट की छायाप्रति भी प्रस्तुत की है।

प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के विद्वान वकील की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बहस करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व अभिलेख में प्रार्थी संख्या 4 का सही नाम साहबुद्दीन के स्थान पर साबुद्दीन दर्ज करवाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:32:16 IST
Reason: SelfAttested

अमरदीन वगैरा बनाम लैण्ड होल्डर, प्रा0पत्र 136 एल0आर0एक्ट

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख, तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट व इसके साथ संलग्न पटवारी की रिपोर्ट की छायाप्रति का अवलोकन किया। तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजो के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थी संख्या 4 का सही नाम साहबुद्दीन नहीं होकर साबुद्दीन है एवं इसी अनुसार प्रार्थी संख्या 4 राजस्व अभिलेख में अपना सही नाम साबुद्दीन दर्ज करवाने की अधिकारी है। फलस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाकर भूमि ख0नं0 1142 रकबा 0.67 है0, ख0नं0 1143 रकबा 0.36 है0, ख0नं0 1144 रकबा 0.31 है0, ख0नं0 1742 रकबा 0.77 है0, ख0नं0 1743 रकबा 0.79 है0 ग्राम टोकसी में दर्ज नाम "साहबूद्दीन" के स्थान पर नाम "साबुद्दीन" दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। आदेश की पालना हेतु आदेश की एक सत्य प्रतिलिपि तहसीलदार गंगापुर सिटी को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.1.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स0मा0)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:32:16 IST
Reason: SelfAttested